डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र. नि. डू. पु. 04 भोपाल 03. 05.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-03-05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2005—वैशाख 16, शक 1927

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग 4 (ग)

अंतिम नियम

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2005

क्र. 2768-तेरह-2005.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 180 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) के साथ पठित धारा 103 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य विद्युत् नियामक आयोग निधि की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग निधि नियम, 2005 है.

(2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36);

(ख) "अध्यक्ष (चेयर पर्सन)" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग का अध्यक्ष (चेयर पर्सन);

(ग) "आयोग" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 82 के अधीन गठित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग;

(ङ) "आहरण और संवितरण अधिकारी" से अभिप्रेत है आयोग द्वारा पदाभिहित ऐसा अधिकारी जो आयोग की ओर से आहरण और भुगतान करे;

(च) "निधि" से अभिप्रेत है नियम 3 के अनुसार संधारित की जाने वाली मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग निधि;

(छ) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(ज) "सदस्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग का सदस्य;

(झ) "सचिव" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग का सचिव;

(ञ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है वही अर्थ होगा जो विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) में उन्हें दिया गया है.

3. निधि की स्थापना.—(1) सरकार, एतद्द्वारा, एक निधि की स्थापना करती है जो मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग निधि कहलायेगी.

(2) निधि का मुख्य लेखा किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में संधारित किया जाएगा और तत्पश्चात् लेखा, ऐसे बैंकों की ऐसी अन्य शाखाओं में संधारित किए जाएंगे जैसा कि आयोग समुचित समझे.

(3) आयोग, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नमूना हस्ताक्षर नाम-निर्देशित बैंक को, उनकी जानकारी और अभिलेख के लिये उपलब्ध कराएगा.

4. निधि में अंशदान.—निधि में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे:—

(1) अधिनियम की धारा 102 के अधीन सरकार द्वारा आयोग को किए गये समस्त अनुदान एवं उधार.

(2) अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा समस्त अनुज्ञप्ति फीस, याचिका फीस, प्रकरण फीस, जुर्माने और प्रभारित.

(3) आयोग द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त राशियां जो कि सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएं.

5. निधि का प्रवर्तन.—(1) निधि का प्रवर्तन आयोग के आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा जो उपसचिव की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, किया जाएगा, जैसा कि अध्यक्ष (चेयरपर्सन) द्वारा समय-समय पर पदाभिहित किया जाए.

(2) पदाभिहित अधिकारी, आयोग की ओर से भुगतान तथा प्राप्तियों के समुचित संव्यवहार को मानीटर करने के लिये उत्तरदायी होगा.

(3) पदाभिहित अधिकारी यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायी होगा कि प्रत्यायिक बैंकों में चेक/डिमांड ड्राफ्ट की जमा की गई रकम आयोग के खाते में समय से जमा हो चुकी है तथा उसके साथ प्राप्तियों और भुगतान लेखों का भी समाधान करेगा.

6. बजट.—आयोग, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (राज्य आयोग बजट का प्ररूप और समय) नियम, 2005 के उपबंधों के अनुसार आयोग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राक्कलित प्राप्तियों और उपगत होने वाले व्ययों के लिये बजट तैयार करेगा और सरकार को अग्रेषित करेगा.

7. निधि का उपयोग.—(1) आयोग, निधि का उपयोग अधिनियम की धारा 103 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में यथा उपबंधित अध्यक्ष (चेयरपर्सन), सदस्यों, सचिव, अधिकारियों और आयोग के अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य पारिश्रमिक के भुगतान हेतु करने के लिये हकदार होगा.

(2) आयोग निधि का उपयोग, अधिनियम की धारा 86 के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के संबंध में अपेक्षित व्ययों की पूर्ति और उक्त नियम 6 के अधीन आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष के लिये प्रस्तुत बजट के अनुसार अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्य तथा प्रयोजनों के व्यय की पूर्ति करने का भी हकदार होगा. इन नियमों से संलग्न अनुसूची में व्यय शीर्ष के ब्यौरे दिये गये हैं.

(3) अनुमोदित बजट से अधिक किसी भी व्यय की पूर्ति आयोग के स्वयं के स्रोतों से की जाएगी.

(4) वित्तीय वर्ष के अन्त के पश्चात् आयोग, सम्यक् रूप से परीक्षित लेखे सरकार को प्रस्तुत करेगी.

8. लेखा.—(1) निधि का लेखा, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (राज्य आयोग के वार्षिक लेखे के प्ररूप और समय) नियम, 2005 के उपबंधों के अनुसार संधारित किए जाएंगे.

(2) आयोग का लेखा अध्यक्ष (चेयरपर्सन), वित्त संबंधी एक सदस्य और आयोग के सचिव द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा.

9. संपरीक्षा.—(1) आयोग का लेखा भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या उसके द्वारा नियुक्त किये गए किसी अन्य व्यक्ति को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन मास के भीतर भेजे जाएंगे. ऐसे लेखों के संबंध में उपगत किसी व्यय का भुगतान आयोग द्वारा भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को किया जायेगा.

(2) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को और आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार तथा विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में है और विशिष्टतया उसे बहियों, लेखाओं, संबंधित व्हाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्रों को पेश किये जाने की मांग करने और आयोग के कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

(3) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित आयोग के लेखे लेखा परीक्षण रिपोर्ट के साथ आयोग द्वारा सरकार को प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक भेजे जाएंगे ताकि सरकार लेखा परीक्षण रिपोर्ट को राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ हो सके.

10. निधि का समापन.—(1) निधि, अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के प्रवृत्त रहने तक प्रवर्तन में रहेगी.

(2) निधि के समापन के कारण, जब निधि की आवश्यकता न हो, निधि के अधीन समस्त अवशेषित शेष सरकारी खजाने में निक्षेपित कर दी जाएगी.

अनुसूची

नियम 7(2) के अनुसार व्यय शीर्ष के ब्यौरे :—

1. वेतन एवं भत्ते

1.1 अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्ते.
1.2 अधिकारियों एवं स्थापना के वेतन एवं भत्ते.
1.3 कर्मचारिवृन्द के वेतन एवं भत्ते.
1.4 मानदेय.
1.5 अतिकालिक भत्ता.
1.6 चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य देख-रेख प्रसुविधाएं.
1.7 बोनस.
अन्य कोई स्थापना प्रभार (विनिर्दिष्ट किया जाये).

2. व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं पर भुगतान.

3. यात्रा-व्यय

3.1 देशीय यात्राएं.—अध्यक्ष, सदस्य एवं अन्य अधिकारी, कर्मचारिवृन्द.
3.2 विदेश यात्राएं.—अध्यक्ष, सदस्य एवं अन्य अधिकारी, कर्मचारिवृन्द.

4. अन्य प्रशासनिक व्यय

4.1 दूरभाष तथा फैक्स
4.2 किराया, दर तथा कर
4.3 समाचार-पत्र एवं नियतकालिक पत्रिकाएं
4.4 विज्ञापन एवं प्रचार
4.5 डाक व्यय एवं तार-परेषण
4.6 वर्दी
4.7 जल एवं विद्युत्
4.8 अन्य कोई व्यय (विनिर्दिष्ट किया जाये).

5. लेखन सामग्री तथा मुद्रण

5.1 लेखन सामग्री
5.2 मुद्रण.

6. प्रकाशन

7. प्रकीर्ण एवं अन्य व्यय.

8. मरम्मत एवं संधारण

8.1 भवन
8.2 मशीनरी एवं उपस्कर
8.3 फर्नीचर एवं फिक्सचर
8.4 यान.

9. पेट्रोल एवं स्नेहक तैल

10. अतिथि सत्कार व्यय

11. संपरीक्षा फीस

12. विधि प्रभार

13. भविष्य निधि एवं अन्य अंशदान

13.1 पेंशन एवं उपदान (पेंशन के लघुकृत मूल्यांकन सहित)
13.2 अंशदाता भविष्य निधि का अंशदान
13.3 जमा से जुड़ी बीमा योजना
13.4 पेंशन अंशदान
13.5 अवकाश वेतन अंशदान
13.6 उपदान अंशदान.

14. ब्याज

14.1 सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज
14.2 अंशदाता भविष्य निधि पर ब्याज
14.3 अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए).

15. सामूहिक बीमा योजना

15.1 सी.जी.ई.जी.आई.एस.-बचत निधि बीमा निधि
15.2 सी.जी.ई.आई.एस.बचत निधि बीमा निधि.

16. अवमूल्यन

17. आस्तियों के विक्रय पर हानि

18. बट्टे खाते के धन की वापसी

19. व्यय से अधिक आय (पूंजीगत कोष लेखा में अंतरण)

20. समस्त व्यय

No. 2768 XIII-05.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 103 read with clause (g) of sub-section (2) of Section 180 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the State Government hereby makes the following rules with regard to establishment of the State Electricity Regulatory Commission Fund, namely:—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission Fund Rules, 2005;

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission;

(c) "Commission" means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission Constituted under Section 82 of the Act;

(d) " Drawing and disbursing officer" means an officer designated as such by the Commission to draw and make payments on behalf of the Commission;

(e) "Fund" means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission Fund to be maintained as per Rule 3;

(f) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(g) "Member" means the member of Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission;

(h) "Secretary" means Secretary of Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission;

(i) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Electricity Act, 2003 (36 of 2003).

3. **Establishment of Fund.**—(1) The government hereby establishes a Fund to be called the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission Fund.

(2) The main account of the fund shall be maintained at any Scheduled Commercial Bank and subsidiary accounts shall be maintained at such other branches of such banks, as the Commission considers appropriate.

(3) The Commission shall make available the specimen signature of authorised signatories to the nominated bank for its information and record.

4. **Contribution to the Fund.**—The fund shall comprise of the following :—

(1) All grants and loans made to the Commission by the Government under Section 102 of the Act.

(2) All licence fees, petition fees, processing fees, fines and receipts by the Commission under the Act.

(3) All sums received by the Commission from such other sources, as may be decided upon the Government.

5. **Operation of the Fund.**—The fund shall be operated by the drawing and disbursing officer of the Commission not below the rank of the Deputy Secretary, as may be designated by the Chairperson from time to time.

(2) The designated officer shall be responsible for monitoring the proper transactions of receipts and payments on behalf of the Commission.

(3) The designated officer shall be responsible to ensure that the amount of cheques/demand drafts deposited in the accredited banks have been timely credited in the account of Commission and shall also reconcile the receipts and payments account with them.

6. **Budget.**—The Commission shall prepare and forward to the Government the Budget for the estimated receipts and expenses to be incurred by the Commission in every financial year as per the provisions of the

Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Form and time of State Commission's Budget) Rules, 2005.

7. Utilisation of the Fund.—(1) The Commission shall be entitled to utilise the Fund for the payment of Salaries, allowances and other remunerations of Chairperson, Members, Secretary, Officers and other employees of the Commission, as provided in clause (a) of sub-section (2) of Section 103 of the Act.

(2) The Commission shall be entitled to utilise the Fund for meeting the expenses required in connection with discharge of its functions under Section 86 of the Act and also meeting the expenses on objects and for purposes authorised by Act in accordance with the Budget for the financial year submitted by the Commission under Rule 6 above. The details of expenditure heads are given in Schedule appended to these rules.

(3) Any expenditure in excess of the approved shall be met by the Commission from its own resources.

(4) After the end of financial year, the Commission shall submit the duly audited accounts to the Government.

8. Accounts.—The accounts of the Fund shall be maintained as per the provisions of the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Form and time of State Commission's Annual Accounts) Rules, 2005.

(2) The accounts of the Commission shall be authenticated by the Chairperson, one member dealing with the finance and the Secretary of the Commission.

9. Audit.—(1) The accounts of the Commission shall be sent to Comptroller and Auditor General of India (CAG) or any other person appointed by him within three months of the closing of the financial year. Any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Commission to the Comptroller and Auditor General of India and any other person appointed by him.

(2) The Comptroller and Auditor General of India and any other person appointed by him in this connection with the audit of the accounts of the commission shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor General of India has in connection with the audit of Government accounts and in particular shall have the right to demand the production of books, accounts connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Commission.

(3) The accounts of the Commission as certified by Comptroller and Auditor General of India or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Government by 30th September of each year by the Commission to enable the Government to place the audit report before the Legislature as soon as may be.

10. Closure of the Fund.—(1) The Fund shall remain opertive so long as the relevant provisions of the Act remain in force.

(2) At the time of closure of the Fund, when the fund is no longer required, all the unspent balance under the fund shall be remitted into the Government Treasury.

SCHEDULE

Details of Expenditure Head as per Rule 7 (2) :—

1. **Salary and Allowances**

1.1 Pay and Allowances of Chairperson and Members.
1.2 Pay & Allowances of Officers and Establishments
1.3 Pay & Allowances of Staff
1.4 Honorarium
1.5 Overtime Allowances
1.6 Medical and Head Care facilities
1.7 Bonus
Any Other Establishment Charges (to be specified)

2. Payment on Professional & Other Services.

3. **Travel Expenses**

3.1 Domestic Travels —Chairman, Members & Other Officers Staff.
3.2 Foreign Travels —Chairman, Members & Other Officers Staff.

4. **Other Administrative Expenses**

4.1 Telephone and Fax
4.2 Rent, Rate & Taxes
4.3 News Paper/Periodicals
4.4 Advertisement and Publicity
4.5 Postage and Telegram
4.6 Liveries
4.7 Water & Electricity
4.8 Any other (to be specified).

5. **Stationery & Printing**

5.1 Stationery
5.2 Printing

6. Publications

7. Miscellaneous and Other Expenses

8. Repair and Maintenance

8.1 Building
8.2 Machinery & Equipment
8.3 Furniture & Fixture
8.4 Vehicles.

9. Petrol & Lubricants

10. Hospitality Expenses

11. Audit Fees

12. Legal Charges

13. Provident Fund & Other Contributions

13.1 Pension & Gratuity (including Commuted Value of Pension).
13.2 Contribution to CPF
13.3 Deposit Linked Insurance Scheme
13.4 Pension Contribution
13.5 Leave Salary Contribution
13.6 Gratuity Contribution

14. Interest

14.1 Interest on GPF
14.2 Interest on CPF
14.3 Any other (to be specified).

15. Group Insurance Scheme

15.1 CGEGIS	— Saving Fund	
	— Insurance Fund	
15.2 CGEIS	— Saving Fund	
	— Insurance Fund	

16. Depreciation

17. Loss on sale of Assets

18. Return of Bad debts

19. Excess of Income over Expenditure (Transferred to Capital Fund Account).

20. Outstanding Expenses.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश साहनी, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2005

क्र. एफ-3-80-2004-बत्तीस.—मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 में निम्नलिखित संशोधन जिसे राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित किया गया, को सर्व संबंधितों की जानकारी के लिये "मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक 17 दिसम्बर 2004 में प्रकाशित किया गया था. प्रस्तावित संशोधन पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुई है, अतः राज्य सरकार उक्त नियमों में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 73 के उप नियम (6) का लोप किया गया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एन. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2005

क्र. एफ-3-80-2004-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-80-2004-बत्तीस, दिनांक 26 अप्रैल 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एन. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 26th April 2005

No. F-3-80-2004-XXXII.—The following amendment in the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984, which in the State Government proposed to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section 24 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) was published as required by sub-section (1) of Section 85 of the above said act for the information of all persons likely to be affected there by in "Madhya Pradesh Rajpatra" dated 17th December 2004. No objections and suggestions have been received within the given time. Hence the State Government makes following amendment in rules:—

AMENDMENT

In the said rules sub-rule (6) of Rule 73 shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. N. TRIPATHI, Dy. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.